उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-33/2015/881/26-3-2015-01 रिट/13

लखनऊः दिनांकः 17 मार्च 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्रीमती कमलेश कुमारी यादव पत्नी श्री मुनीश सिंह उर्फ श्री पप्पू यादव, निवासी ग्राम ब्योरा, ब्लाक-भरखनी, जनपद-हरदोई द्वारा श्रीमती नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह पुत्री श्री महापीर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-सवायजपुर, जिला हरदोई को तहसीलदार सवायजपुर हरदोई द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की जाट जाति का निर्गत प्रमाण पत्र संख्या-25210308103, दिनांक 18.09.2010 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-10425/2012 कमलेश कुमारी यादव, बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 18.12.2012 एवं दिनांक 01.07.2014 के अनुपालन में राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक दिनांक-03.03.2015 को आहूत की गयी। उक्त बैठक में याची श्रीमती कमलेश कुमारी एवं विपक्षी नम्रता सिंह के प्रतिनिधि श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित हुये। स्क्रुटनी कमेटी द्वारा उभय पक्षों को सुना गया।

2- प्रकरण की संक्षिप्त रूप में विषयवस्तु यह है कि श्रीमती कमलेश कुमारी यादव पत्नी श्री मुनीश सिंह उर्फ श्री पप्पू यादव, निवासी ग्राम ब्योरा, ब्लाक-भरखनी, जनपद-हरदोई द्वारा श्रीमती नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह पुत्री श्री महापीर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-सवायजपुर, जिला हरदोई के पक्ष में तहसीलदार सवायजपुर, हरदोई द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की 'जाट' जाति का निर्गत प्रमाण पत्र संख्या-25210308103, दिनांक 18.09.2010 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-10425/2012 कमलेश कुमारी यादव, बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2012 एवं दिनांक 01.07.2014 को निम्नवत् आदेश पारित किया गयाः-

Order (Oral)

We have heard learned counsel for parties and perused the pleadings of writ petition. Looking to the background of the case as well as the allegation of defiance of the order of State Government by the District Magistrate, Hardoi, the Principal Secretary, Social Welfare Department shall file affidavit on the next date of hearing. List the matter on 08.01.2013.

Order Date :-

18.12.2012

Short Counter affidavit filed today is taken on record. It is submitted by the respondents' counsel that the representation submitted by the petitioner has already been decided by order dated 3.1.2013. Keeping in view the fact that the controversy has already been adjudicated by the respondents, the writ petition seems to have lost its efficacy. The writ petition is accordingly dismissed with liberty to approach appropriate forum in case aggrieved by the impugned decision taken by the respondents.

Order Date :- 1.7.2014

3- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-685/26-3-2011, दिनांक 28.02.2011 द्वारा जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धी विवादों/शिकायतों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सत्यापन समिति का गठन किया गया है। अतएव जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-18.12.2012 के क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 28.02.2011 में निहित व्यवस्था का संज्ञान लेते हुये जनपद स्तरीय सत्यापन समिति, हरदोई की बैठक दिनांक 03.01.2013 को आहूत की गयी। जनपद स्तरीय सत्यापन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समिति ने दोनो पक्षों को सुनने के उपरान्त अपने निष्कर्ष में यह पाया कि नीतू सिंह पुत्री श्री महावीर सिंह अन्य पिछडे वर्ग की 'जाट' जाति की है। शासनादेशानुसार भी पुत्री की जाति उसके पिता पक्ष से निर्धारित होती है। अतएव जनपद स्तरीय सत्यापन समिति हरदोई ने सुश्री नीतू सिंह के पक्ष में तहसीलदार सवायजपुर जनपद हरदोई द्वारा (अन्य पिछडे वर्ग की जाट जाति का निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या 25210308103, दिनांक 18.09.2010 में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी।

4- जनपद स्तरीय सत्यापन समिति के उक्त निर्णय दिनांक 03.01.2013 के विरूद्ध याची कमलेश कुमारी द्वारा आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम के समक्ष अपील दिनांक-22.03.2013 प्रस्तुत की गयी थी। आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्र दिनांक 01.06.2013 द्वारा उक्त अपील राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी को विचार हेतु सन्दर्भित की गयी। कार्मिक अनुभाग-2 उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-22/14/92-का-2/1996 टी.सी.।।। दिनांक 05.01.1996 के प्रस्तर-2 (5) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में प्रकरण जांच हेतु निदेशालय पिछडा वर्ग कल्याण के स्तर पर गठित सर्तकता प्रकोष्ठ को सन्दर्भित किया गया था। निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण के पत्र दिनांक 25.02.2014 द्वारा सर्तकता प्रकोष्ठ की जांच आख्या दिनांक 02.12.2013 शासन को उपलब्ध करायी गयी।

5- सर्तकता प्रकोष्ठ ने अपनी जांच आख्या में याची श्रीमती कमलेश कुमारी यादव के पति श्री पप्पू यादव उर्फ मुनीश सिंह यादव विपक्षी नीतू सिंह ऊर्फ नम्रता सिंह तथा 23 अन्य व्यक्तियों के शपथपत्र/बयान यथा श्रीमती किरन सिंह पत्नी श्री गणेश प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट-सवायजपुर, तहसील सवायजपुर, जिला हरदोई, श्री राम शंकर पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री कैलाश नरायन पाण्डेय, निवासी ग्राम व पोस्ट-सवायजपुर हरदोई, श्री जदुनाथ पुत्र स्व0 शिवदर्शन पोस्ट सवायजपुर हरदोई श्री रामधर पुत्र श्री मुन्नूलाल ग्राम व पोस्ट-सवायजपुर जिला हरदोई श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 भगवान बक्श सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट सवायजपुर परगना पाली तहसील-सवायजपुर, जिला हरदोई, श्री श्यामा कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री नन्हकू निवासी गढ़ी सवायजपुर तहसील सवायजपुर जिला हरदोई श्री रामबक्श पुत्र श्री रेवती ग्राम खमरिया, पोस्ट-खितोली थाना-पापी, तहसील-सवायजपुर, हरदोई श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री राम लठैते त्रिपाठी, निवासी ग्राम व पोस्ट ससेमरिया, थाना पापी, तहसील सवायजपुर हरदोई श्री प्रदीप कुमार सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह, निवासी शिवराजपुर पोस्ट-सवायजपुर, हरदोई श्री हरिनाथ सिंह पुत्र श्री विजय सिंह निवासी मैलामऊ पोस्ट-मैलामऊ, थाना सोनार, हरदोई तहसीलदार सवायजपुर, हरदोई श्री विजय प्रताप पुत्र श्री पोहकर, निवासी ग्राम गदियाखेडा, पोस्ट- गढ़ी, विन्दौर, थाना, मलिहाबाद, लखनऊ, श्री कंचन सिंह पुत्र श्री स्व0 श्री कमल सिंह, निवासी ग्राम करसौरा, तहसील, सादाबाद, थाना-सादाबाद जिला हाथरस तहसीलदार सादाबाद जिला हाथरस, श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री राम जी लाल ग्राम करसौरा तहसील सादाबाद जिला हाथरस श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री राजाराम निवासी ग्राम करसौरा तहसील सादाबाद जिला हाथरस श्री आनन्द कुमार सक्सेना पुत्र श्री कैलाश चन्द्र सक्सेना ग्राम करसौरा, तहसील सादाबाद जिला हाथरस श्री डिप्टीखान पुत्र श्री काजरेवां ग्राम करसौरा तहसील सादाबाद जिला हाथरस श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री त्रुवाब सिंह, निवासी ग्राम करसौरा तहसील सादाबाद जिला हाथरस, श्री गौरीशंकर पुत्र श्री रामचरन, ग्राम करसौरा, तहसील-सादाबाद एवं श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री तोताराम निवासी ग्राम करसौरा तहसील सादाबाद जिला हाथरस, श्री भीमसेन पुत्र श्री देवीलाल निवासी ग्राम करसौरा तहसील सादाबाद का बयान लिया गया। जिसमें इन लोगों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि सुश्री नम्रता सिंह मूलतः जनपद हाथरस की निवासी रहीं हैं जिनकी जाट जाति है। वह बचपन से जनपद हरदोई में निवासरत हैं। उनकी जाति वर्तमान में हिन्दू (जाट) है। उन्हे वह सामान्यतया जानते व पहचानते हैं।

6- सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा इस प्रकरण को गहनता से जांच के दौरान दोनों पक्षों के पश्चात प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन स्थलीय भ्रमण के दौरान लोगों से गहन पूछताछ गोपनीय पूछताछ तथा अभिलेखों के साक्ष्य विश्लेषण में निम्नवत तथ्य प्रकाश में आया हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्तमान ब्लाक प्रमुख, भरखनी, सवायजपुर, जिला हरदोई कु0 नम्रता सिंह उर्फ नीतू सिंह पुत्री श्री महावीर सिंह का जन्म ग्राम करसौरा, तहसील सादाबाद जिला हाथरस में 'जाट' विरादरी के परिवार में हुआ था तथा उनके ताऊ जो श्री कंचन सिंह पुत्र श्री कमल सिंह कृषि विभाग में नौकरी करते थे तथा उनकी नियुक्ति जनपद हरदोई के सवाईजपुर में कृषि निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भगवान बक्ख सिंह के निवास 'गढ़ी' में ही रहते थे। कु0 नीतू सिंह के ताऊ श्री कंचन सिंह के वहां रहने से ही उनके पिता श्री महावीर सिंह भी सवाईजपुर हरदोई नियमित रूप से आने जाने लगे तथा श्री भगवान बक्श सिंह से उनके प्रगाढ़ सम्बन्ध हो गये तथा वह उनका कृषि एवं कारोबार देखने लगे तथा इसी कारण उन्होंने अपना परिवार भी हाथरस से बुलाकर वहीं सवाईजपुर बुला लिया तथा कु0 नम्रता सिंह भी बचपन से ही अपने माता-पिता के साथ वहीं 'गढ़ी' रहने लगीं। तभी से कु0 नम्रता सिंह पदों 'गढ़ी' सवाईजपुर हरदोई रहने लगी तथा उनकी सारी शिक्षा दीक्षा व वर्तमान तक वहीं रहना हो गया। श्री भगवान बक्श सिंह (स्व0) व श्री महावीर सिंह के परिवार के मध्य इतना अधिक प्रेम-व्यवहार था कि श्री भगवान बक्श सिंह के लड़के व लड़कियों को भी शिक्षा दीक्षा, महावीर सिंह के परिवार, करसौरा, सादाबाद, हाथरस में रहकर हुयी।

कु0 नम्रता सिंह उर्फ नीतू सिंह जोकि 'जाट' बिरादरी की हैं, परन्तु लगातार बचपन से ही 'गढी' सवायजपुर श्री (स्व0) भगवान बक्श सिंह के परिवार में जोकि 'क्षत्रिय' हैं रह रही हैं। अतः त्रुटिवश उनके शिक्षा के अभिलेखों में जाति 'जाट' के स्थान पर 'क्षत्रिय' अंकित हो गया है जिसमें त्रुटि सुधार हेतु सभी प्रयास किये गये हैं तथा फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालय में जाति 'जाट' अंकित हो गयी है तथा इण्टर व स्नातक के अभिलेखों में सुधार प्रक्रिया जारी है। कु0 नम्रता सिंह की जाति प्रमाण पत्र तहसील शादाबाद हाथरस से जारी हैं जिसमें उनकी जाति 'जाट' अंकित है तथा उसी जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही तहसील, सवाईजपुर जनपद-हरदोई में भी उनका जाति प्रमाण पत्र 'जाट' बिरादरी का दिनांक 18.09.2010 को क्रमांक संख्या- 25210308103 पर जारी हुआ है।

स्व0 भगवान बक्श सिंह जोकि लगातार ग्राम सवाईजपुर के प्रधान रहे तथा उनके बाद उनके पुत्र श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह लगातार ब्लाक भरखनी के ब्लाक प्रमुख रहे। वर्ष 2010 में यह ब्लाक प्रमुख पद की सीट पिछडी जाति के लिए आरक्षित हो गयी तो उन्होंने इस पद के लिए नियमानुसार कु0 नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह को जोकि 'जाट' बिरादरी जोकि पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आती है, को उम्मीदवार बनवाकर चुनाव में खड़ा किया और वे विधिवत् पूर्ण बहुमत से विजयी हो गयीं तथा वर्तमान में भी उसी पद पर कार्यरत हैं। उनकी जाति को लेकर चुनाव व नामांकन, चुनाव व परिणाम के समय कोई भी आपत्ति श्रीमती कमलेश कुमार यादव द्वारा नहीं की गयी थी। कु0 नीतू सिंह के ब्लाक प्रमुख चुने जाने के बाद उनके द्वारा आहूत की गयी नियमित बैठक में श्रीमती कमलेश कुमारी द्वारा लगातार अनुपस्थित होने के कारण जोकि स्वयं बी0डी0एस0 सदस्य हैं, के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही का प्रस्ताव पारित किये जाने के पश्चात ही नाराज होकर शिकायतकर्ती श्रीमती कमलेश कुमारी द्वारा कु0 नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही आरम्भ की गयी है जोकि द्वेषपूर्वक एवं झूठी साबित प्रतीत होती है।

सर्तकता प्रकोष्ठ द्वारा इस प्रकरण की जांच के दौरान तहसील-सवाईजपुर जनपद-हरदोई व तहसील सादाबाद जनपद-हाथरस के कार्यालयों व गांव सवाईजपुर व हरसौरा का विधिवत् स्थलीय भ्रमण किया गया तथा तमाम स्थानीय लोगों से पूछताछ/बयान लिये गये गोपनीय पूछताछ भी की गयी। श्री महावीर सिंह पुत्र स्व0 कमल सिंह निवासी ग्राम करसौरा तहसील सादाबाद जिला हाथरस द्वारा अपना शपथ पत्र लिखित बयान, पारिवारिक सिजरा 1356 फसली, पारिवारिक रजिस्टर तथा तहसील से निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उपरोक्त सभी अभिलेखीय साक्ष्यों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्री महावीर सिंह पुत्र कमल सिंह जो नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह के पिता हैं उनके द्वारा तहसीलदार सादाबाद जिला महामायानगर(हाथरस) द्वारा दिनांक 06.09.2010 को जारी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है जिसमें उनकी स्वयं की जाति 'जाट' दर्शायी गयी। इसके साथ ही ग्राम करसौरा तहसील सादाबाद जिला-हाथरस का परिवार रजिस्टर की नकल दिनांक-21.12.2012 संलग्न की गयी हैं। जिसमें धर्म कालम नं0-7 में हिन्दू (जाट) दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय जुमसरा बल्देव मथुरा द्वारा दिनांक 21.12.2012 को जारी स्वयं का प्रस्थान प्रमाण-पत्र (लीविंग सार्टीफिकेट) संलग्न किया गया है, जिसमें उनकी जाति हिन्दू (जाट) दर्शायी गयी है। उनके द्वारा प्राथमिक विद्यालय करसौरा द्वारा दिनांक 21.12.2012 को जारी स्वयं का प्रस्थान प्रमाण-पत्र (लीविंग सार्टीफिकेट) भी संलग्न किया गया है, जिसमें उनकी जाति हिन्दू (जाट) दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त महावीर सिंह द्वारा ग्राम कसरौली तहसील सादाबाद जिला महामायानगर (वर्तमान जिला हाथरस) एवं वर्तमान निवासी सवायजपुर विकास खण्ड भरखनी जिला हरदोई का पारिवारिक सिजरा भी संलग्न किया गया है, जिसे राजस्व निरीक्षक पाली द्वारा दिनांक 21.12.2012 द्वारा सत्यापित किया गया है, जिसके अनुसार श्री नन्दलाल पुत्र हरनारायण के चार पुत्र 1-शोभाराम 2-सालिगराम 3-भँवर सिंह 4-कमल सिंह हैं। जिसमें कमल सिंह के पुत्र महावीर है तथा महावीर सिंह की पुत्री नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह है। खतौनी जमाबन्दी 1347 फसली ग्राम करसौरा तहसील सादाबाद खेवट नम्बर-3 संलग्न की गयी है, जिसमें सालिगराम पुत्र नन्दलाल की जाति 'जाट' दर्शायी गयी है। उक्त संलग्न सिजरे के अनुसार सालिगराम के भाई कमल सिंह हैं, जिनके पुत्र महावीर सिंह की पुत्री नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह हैं। महावीर द्वारा साक्ष्य में खातेदार सालिगराम पुत्र नन्दलाल की जमाबन्दी 1347 फ0 ग्राम करसौरा तहसील सादाबाद खेवट नं0-3 की नकल एवं ग्राम करसौरा तहसील सादाबाद की नकल खतौनी फ0 सन् 1356 संलग्न की गयी है। उक्त दोनों अभिलेखों में सालिगराम की जाति 'जाट' दर्ज है। संलग्न सिजरे के अनुसार सालिगराम पुत्र नन्दलाल व कमल सिंह पुत्र नन्दलाल सगे भाई हैं। नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह उक्त श्री कमल सिंह के पुत्र श्री महावीर सिंह की पुत्री हैं, जो निर्विवादित तथ्य हैं।

7- राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की आहूत बैठक दिनांक-03.03.2015 में याची श्रीमती कमलेश कुमारी यादव द्वारा सुश्री नीतू सिंह के सम्बन्ध में कतिपय अन्य अभिलेख स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष उपलब्ध कराने हेतु समय प्रदान करने की मांग की गयी। अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी द्वारा याची को 14 दिन का समय उपलब्ध कराया गया। उक्त के क्रम में याची श्रीमती कमलेश कुमारी यादव द्वारा अपने पत्र दिनांक-16.03.2015 के माध्यम से सुश्री नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह के परिवार रजिस्टर की नकल एवं उनके दिनांक-31.01.2015 को मुद्रित शादी का निमंत्रण कार्ड की छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी।

8- प्रकरण में सर्तकता प्रकोष्ठ द्वारा की गयी जांच आख्या एवं वादी एवं प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के निष्कर्ष से यह स्थिति प्रकाश में आयी कि सुश्री नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह पुत्री श्री महाबीर सिंह लगभग 22 वर्षों से ग्राम व तहसील-सवायजपुर, जनपद हरदोई में निवास कर रही हैं। जनपद हरदोई में जाट जाति की आबादी न के बराबर होने के कारण अभिलेखों में इस तरह की त्रुटि सम्भावित है। नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह के पिता महावीर सिंह ही हैं एवं उनकी जाति जाट ही है। इस पर याची श्रीमती कमलेश कुमारी यादव द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है तथा श्री महावीर सिंह पुत्र कमल सिंह को नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह के पिता के रूप में स्वीकार करने में याची को कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि श्री महावीर सिंह पुत्र कमल सिंह का नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह का पिता होना सिद्व है तथा संलग्न साक्ष्य जाति प्रमाण पत्र, उद्वरण खतौनी एवं लीविंग सार्टीफिकेट के अनुसार श्री महावीर सिंह की जाति 'जाट' होना भी सिद्व पाया गया है। अतः उनकी पुत्री नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह पुत्र महावीर सिंह की जाति भी 'जाट' होना सिद्व है। शासनादेशानुसार भी पुत्री की जाति उसके पिता पक्ष से निर्धारित होती है। इस प्रकार विस्तृत जांचोपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है, कि नीतू

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सिंह उर्फ नम्रता सिंह पुत्री श्री महावीर सिंह की जाति हिन्दू (जाट) है, जोकि पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आती है।

9- अतएव प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के परिशीलनोपरान्त राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सुश्री नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह पुत्री श्री महाबीर सिंह हिन्दू 'जाट' जाति की है, जोकि पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आती है। अतएव राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी याची श्रीमती कमलेश कुमारी की अपील दिनांक-22.03.2013 को उपरोक्तानुसार एतदद्वारा निस्तारित करती है।

एम.पी.सिंह उपनिदेशक, प्रतिनिधि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ	केदार नाथ निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0शासन

<u>पृ0संख्या-33/2015/881 (1)/26-3-2015 तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, हरदोई।
5- श्रीमती कमलेश कुमारी यादव पत्नी श्री मुनीश सिंह उर्फ श्री पप्पू यादव, निवासी ग्राम ब्योरा, ब्लाक-भरखनी, जनपद-हरदोई।
6- सुश्री नीतू सिंह उर्फ नम्रता सिंह पुत्री श्री महापीर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-सवायजपुर, जिला हरदोई।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।